पत्रांकः— 14/एम० 07—30/2013 ......
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखागार (लेखा एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक......../......./2019

विषयः— विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के सेवा निवृत कर्मियों को चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 में पेंशनादि का भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में रूपये 20,00,000/— (बीस लाख) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 में विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के सेवानिवृत कर्मियों को पेंशनादि भुगतान हेतु रूपये 20,00,000/— (बीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान स्वीकृत करने की कृपा की है।

2. उक्त राशि का वहन शीर्ष 2202—सामान्य शिक्षा—03— विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा—800— अन्य व्यय मांग संख्या—21— उप शीर्ष 0001— बिहार कॉलेज सेवा आयोग विपत्र कोड—21— 2202038000001 के विषय शीर्ष 0001—3106 सहायक अनुदान गैर वेतन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 में 20,00,000/— (बीस लाख) रूपये मात्र उपबंध है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग बिहार, पटना द्वारा की जाएगी तथा वे विधटित आयोग के सेवानिवृत कर्मियों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेंशनादि का भुगतान करेंगे।

4. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या—3758 दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत की जा रही है।

5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार, बिहार, के पत्रांक 877—907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

6. स्वीकृत राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या—1106 दिनांक—22.07.2015 एवं विभागीय ओदश संख्या—1297 दिनांक—28.08.2015 के आलोक में होगा तथा राशि का उपयोग उन्ही मदों पर किया जायेगा जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है और यदि राशि बच जाती है तो उसे राज्य कोष में जमा कर दिया जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को यह अधिकार होगा कि विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग की लेखा का अंकेक्षण करें। जिस खास उद्देश्य से यह राशि स्वीकृत की गई है उसका व्यय उसी उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए की जाएगी ताकि उसका लेखा जोखा आयोग द्वारा अलग से रखा जा सके।

राशि स्वीकृति के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त होने के बाद अगले वर्ष की अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी। व्यय विवरणी के अनुसार राशि खर्च किया जाए। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नही किया जाएगा।

8. निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है।

9. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त है।

10 प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–14/एम० 07–30/13 ......96 पटना, दिनांक 8/1/2019

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, आय व्यय, प्रशाखा–9, बजट शाखा/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना/ बेवसाईट कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/ अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/निदेशक, उच्च शिक्षा/सभी उप निदेशक/ लेखापाल उच्च शिक्षा/ प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14 एवं 15/कार्यवाहक सहायक एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/1/19

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

व्यय विवरणी

विघटित कॉलेज सेवा आयोग, पटना के सेवा निवृत कर्मियों को चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में पेंशनादि का भुगतान हेतु स्वीकृत अनुदान की व्यय विवरणी।

क्र० सं०	मद	स्वीकृत राशि
1	सेवा निवृत कर्मचारियों के पेंशनादि पर व्यय	20,00,000/–
	कुल रूपये	20,00,000/–

(बीस लाख रूपये)

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव